

अप्रैल 30, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-09

कार्यकारी आदेश 2021-09
(कोविड-19 कार्यकारी आदेश सं. 78)

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 1, 335, 000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 21, 950 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, इलिनॉय के कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करने के साथ इसके अनुरूप स्वयं को ढालता है, यह रोग एक नवीन गंभीर तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरणों के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, और अभी तक इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, इलिनॉय निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना हमेशा, विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध एवं मार्गदर्शन सार्वजनिक स्थानों में, जहाँ सामाजिक दूरी के उपाय बनाए रखना कठिन हो वहाँ चेहरे पर कपड़े के कवर पहनने की आवश्यकता और प्रभावशीलता को इंगित करता है, और यह संकेत देता है कि बाहर खुले में रोग फैलने का जोखिम भवनों के अंदर रोग फैलने के जोखिम की तुलना में कम है; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह कोविड-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

जबकि, जैसे राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान कोविड-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वाइरस के प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 21, 950 से भी अधिक इलिनॉय वासियों की दुखद मृत्यु का कारण बनने एवं दसियों हज़ारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के इलावा, कोविड-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को खतरे में डाल रहा है; और,

जबकि, राज्य की कई कार्यकारी एजेंसियों ने अपने सीमित संसाधनों को कोविड-19 वैश्विक-महामारी की जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित किया है; और,

जबकि, कोविड-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एगरीकलचर (Illinois Department of Agriculture, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, कोविड-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए डेड एनीमल डिस्पोज़ल एक्ट (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो कोविड-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें कीटनाशक का छिड़काव करने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण के संचालन के लिए नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और,

जबकि, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर कोविड-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए बिज़नेस इंटरप्शन ग्रांट प्रोग्राम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, 30 अप्रैल 2021 को, कोविड-19 के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी आपात और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की प्रतिक्रिया में, मैं कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-57, 2020-68, 2020-72, 2021-03, और 2021-07 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूँ और उन कार्यकारी आदेशों के 'जबकि' खंडों को सम्मिलित करता हूँ;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के अधिनियम 20 आईएलसीएस 3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) (*Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), and 7(12) of 20 ILCS 3305*) के अनुसार और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 30 अप्रैल 2021 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूँ:

भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः प्रकाश।

कार्यकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-57, 2020-68, 2020-72, 2021-03, और 2021-07 को निम्नवत इस माध्यम से पुनः जारी किया जाता है:

कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र (James R. Thompson Center) का बंद होना; राज्य कर्मचारियों के लिए रोग अवकाश आवश्यकता की समाप्ति):

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2 और 3 को पुनः जारी किया जाता है और **29 मई 2021** तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कुछ भी डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसिज़ (Department of Central Management Services) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के

लिए जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करता है।

कार्यकारी आदेश 2020-07 (वैयक्तिक बैठक की आवश्यकताएं)

कार्यकारी आदेश 2020-33 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6 को पुनः जारी किया जाता है और 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-08 (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑपरेशन्स)

कार्यकारी आदेश 2021-06 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-08 के अनुभाग 2 को पुनः जारी किया जाता है और 15 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-39 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-08 के अनुभागों 3, 4 और 5 को पुनः जारी किया जाता है और 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):

कार्यकारी आदेश 2020-52 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-09 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्शन्स (Illinois Department of Corrections) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मि पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जूविनायल जस्टिस (Illinois Department of Juvenile Justice) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल कोड (Illinois School Code) के उपबंधों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है और 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-16 (सुरक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कक्षा प्रशिक्षण का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-16 का अनुभाग 2 पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (केनाबिस संबंधी समय-सीमाएं एवं आवेदन):

कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-21 इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्शज़ (Illinois Department of Corrections) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश

कार्यकारी आदेश 2020-21 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्यवाहियां):

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्विसिज़ फोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम (Illinois Department of Human Services Forensic Treatment Program); इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्विसिज़ (Illinois Department of Human Services) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल):

कार्यकारी आदेश 2020-24 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):

कार्यकारी आदेश 2020-25 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-25 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):

कार्यकारी आदेश 2020-26 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-27 (कोविड-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):

कार्यकारी आदेश 2020-27 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का वैयक्तिक रूप से शिक्षण या परीक्षाएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-29 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-30 (समाप्त (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय ह्युमन राइटज़ कमीशन (Illinois Human Rights Commission) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5 और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-34 (केनाबिस संबंधी आवश्यकताएँ)

कार्यकारी आदेश 2020-34 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-35 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ (Illinois Department of Public Health) नियामक गतिविधियां):

कार्यकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 14, 15, 16 और 17 को पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह लाइसेंसिंग):

कार्यकारी आदेश 2020-36 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):

कार्यकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2 और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):

कार्यकारी आदेश 2020-42 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-43 (चरण 4 समुदाय पुनर्जीवन आदेश):

कार्यकारी आदेश 2020-59 और कार्यकारी आदेश 2020-55 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-43 को इसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-43 को निम्नवत संशोधित और सुधारित किया जाता है:

व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं। व्यक्तियों को अपने एवं अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य एवं जीवन के संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:

- b. **सार्वजनिक स्थानों पर या काम करते समय चेहरे पर कवरींग पहने।** कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु दो वर्ष से अधिक है और जो चिकित्सकीय दृष्टि से चेहरे के ढंकने (एक मास्क या चेहरे को ढंकने वाला कपडा) को सहन कर सकता है, उसको सार्वजनिक स्थान पर और छह फीट की सामाजिक दूरी कायम ना रख पाने पर अपने नाक और मुंह को फेस कवरींग से ढंकना होगा। यह आवश्यकता लागू रहेगी, भले ही व्यक्ति किसी भवन के अंदर के स्थान में हो, जैसे किसी स्टोर में, या किसी सार्वजनिक बाहरी खुले स्थान पर, जहां छः फ्रीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता है। हालांकि, पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को अब भीड़-भाड़ में और जहां शारीरिक दूरी बनाए रखना संभव न हो ऐसी जगहों को छोड़कर, बाहर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है।

कार्यकारी आदेश 2020-45 (केनाबिस लाइसेंस):

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किया गए के अनुसार प्रभावी रहेगा।

कार्यकारी आदेश 2020-47 (preK-12 स्कूलों में वैयक्तिक शिक्षण):

कार्यकारी आदेश 2020-47 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करैक्शज़ में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):

कार्यकारी आदेश 2020-50 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-57 (केनाबिस के पहचान पत्र):

कार्यकारी आदेश 2020-57 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-68 (केनाबिस रजिस्ट्री पहचान पत्र का नवीनीकरण):

कार्यकारी आदेश 2021-05 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-72 (आवासीय निष्कासन स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-74, कार्यकारी आदेश 2021-01, कार्यकारी आदेश 2021-05 और कार्यकारी आदेश 2021-06 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-72 को इसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-03 (क्षेत्रीय शमन मेट्रिक्स):

कार्यकारी आदेश 2021-03 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-07 (इलिनॉय एनर्जी असिस्टेंस एक्ट (Illinois Energy Assistance Act) के उपबंधों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2021-07 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 29 मई 2021 तक बढ़ाया जाता है।

भाग 2: बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश को लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

राज्यपाल

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

राज्यपाल द्वारा 30 अप्रैल 2021 को जारी किया गया
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा अप्रैल 30, 2021 को दायर किया गया